कार्यालय, निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना।

(सहकारिता विभाग)

भाड़े पर वाहन उपलब्ध कराने हेतु निविदा का आमंत्रण

एतद् द्वारा इच्छुक निबंधित ट्रेवेल्स एजेन्सियों से कार्यालय, निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना के पदाधिकारियों के उपयोग हेतु भाड़े पर सभी Make (प्रकार) यथा Scorpio, Sumo, Innova, Safari, XUV, Xylo, Bolero, Indigo इत्यादि वाहन ईंधन सहित तथा ईंधन रहित, चालक सहित तथा चालक रहित निम्न प्रकार से उपलब्ध कराने हेतु निविदा आमंत्रित की जाती है :–

(I) मासिक दर –न्यूनतम 2000 किलोमीटर प्रति माह एवं 2000 किलोमीटर से अतिरिक्त प्रति किलोमीटर का दर।(संलग्न प्रपत्र पर)

(II) दैनिक दर–न्यूनतम 200 किमी॰ प्रति दिन एवं 200 किलोमीटर से अतिरिक्त प्रति किलोमीटर का दर। (संलग्न प्रपत्र पर)

इच्छुक निबंधित ट्रेवल्स एजेन्सियों इस **सूचना के प्रकाशन की तिथि से 21 दिनों के अन्दर** निर्धारित शर्तों के अधीन मुहरबंद लिफाफा (तकनीकी एवं वित्तीय निविदा अलग–अलग लिफाफा में) में **निविदा** कार्यालय, निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना (विकास भवन, द्वितीय तल) में प्रत्येक कार्य दिवस (सोमवार से शुक्रवार) को अपराह्न 5:00 बजे तक उपलब्ध (डाक से स्वीकार्य नहीं) करा सकते हैं।

निविदा विभागीय क्रय समिति के समक्ष **दिनांक 05.07.17 को अपराह्न 4:00 बजे** संयुक्त निबंधक (पणन), सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना के कार्यालय कक्ष में खोली जायेगी। निविदा खुलने के समय निविदाकर्त्ता को स्वयं या उनके द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधि का उपस्थित रहना अनिवार्य है।

तकनीकी एवं वित्तीय निविदा (विहित प्रपत्र पर) अलग–अलग मोहरबंद लिफाफों में देना होगा। **अग्रधन (Earnest Money) की राशि 10,000/– (दस हजार) रु॰ मात्र का डिमांड ड्राफ्ट**, जो निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना (Registrar, Co-operative societies, Bihar, Patna) के पक्ष में देय हो, अथवा मो॰ 10,000/(दस हजार) रूपये का राष्ट्रीय बचत पत्र (बचनबद्ध (Pledge) कराया हुआ) निविदा के साथ जमा करना होगा। अस्वीकृत निविदा का अर्नेस्ट मनी वापस कर दिया जायेगा।

2. निविदाकर्त्ता के लिए निम्नलिखित तकनीकी अर्हताएँ आवश्यक होंगी :–

a. वे ट्रेवल एजेंसी जिन्हें कम से कम एक वर्ष का समान प्रकृति का कार्यानुभव हो और भाड़े के वाहन आपूर्ति करने हेतु सरकार द्वारा निर्धारित अर्हता रखते हों।
b. निविदाकर्त्ता ट्रेवल एजेंसी द्वारा अपने फर्म के वाणिज्यिक निबंधन, सेवाकर/GST निबंधन एवं विगत एक वर्ष का आयकर रिटर्न की छाया प्रति निविदा के साथ जमा करना होगा।
c. उपलब्ध कराये जाने वाले वाहन तीन वर्ष से अधिक पुरानी नहीं हो तथा सरकार द्वारा निर्धारित सभी अर्हताएँ पुरी करती हो तथा ट्रेवल एजेंसी द्वारा वाहन का रख–रखाव स्वयं किया जायेगा।
d. निविदा में चयनित ट्रेवल एजेन्सी को कम से कम 05 वाहनों का वाणिज्यिक निबंधन संख्या, रोड टैक्स, गाड़ी का बीमा एवं गाड़ी का फिटनेस, चालक का वाणिज्यिक लाइसेंस आदि से संबंधित कागजातों की स्व–अभिप्रमाणित छायाप्रति उपलब्ध कराना होगा।
e. निविदाकर्त्ता द्वारा इस आशय का शपथ–पत्र देना होगा कि न्यायालय में उनपर न कोई वाद लंबित है और न ही न्यायालय द्वारा किसी कानून के तहत उसे दंडित किया गया है तथा उन्हें काली सूची में भी दर्ज नहीं किया गया है।
f. चयनित एजेंसी को निर्धारित मासिक किराया के अतिरिक्त कोई भी कर या शुल्क देय नहीं होगा। मासिक किराये की राशि से नियमानुसार सभी प्रकार के करों यथा आयकर (TDS) आदि की कटौती की जाएगी।

2156/